

न्यायालय, अपर समाहर्ता, कोडरमा।

विविध अनुमति वाद संख्या-59/2023

प्रसंग:-गोपाल रविदास - बनाम - महावीर रविदास

आदेश

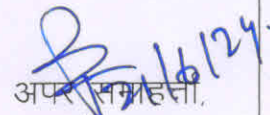
प्रस्तुत वाद उपायुक्त, कोडरमा के आदेशानुसार प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, कोडरमा के पत्रांक- 1490/विधि दिनांक-21/12/2023 द्वारा भूमि बिक्री करने की अनुमति से संबंधित वाद प्राप्त हुआ है। आवेदक श्री गोपाल रविदास, पिता स्व० बोधी रविदास, साकिन तेतरोन, पोस्ट परसावाद, थाना जयनगर, जिला-कोडरमा ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46 (i)(b) के तहत मौजा तेतरोन, थाना नं०-166, खाता नं०-33, प्लॉट नं०-801, रकवा -08 डी०, भूमि बिक्री हेतु अनुमति का माँग किया गया है।

तत् आलोक में अचल अधिकारी, जयनगर का पत्रांक-930 दिनांक-30.12.2023 के द्वारा प्रस्तावित भूमि का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिक्री हेतु प्रस्तावित भूमि दाखिल खरिज नहीं होने के कारण पंजी II में जमाबंदी दर्ज नहीं है, जिसके कारण बिना दाखिल खारिज हुए बिक्र की अनुमति देना उचित प्रतित नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी, जयनगर का प्रतिवेदन/मंतव्य के आधार पर मौजा तेतरोन, थाना नं०-166, खाता नं०-33, प्लॉट नं०-801, रकवा -08 डी०, भूमि बिक्री करने की अनुमति दिया जाना उचित प्रतित नहीं होता है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


अपर समाहर्ता,
कोडरमा।


अपर समाहर्ता,
कोडरमा।